

अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म०प्र०)

क्रमांक / अकादमिक / अ०म० / 2025 / 482/25

रीवा, दिनांक 18/02/25

अधिसूचना

आदेशानुसार, मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 28 के अन्तर्गत जीवनविज्ञान संकाय अन्तर्गत सूक्ष्म जैविकी के अध्ययन मण्डल का गठन निम्नलिखित रूप से किया जाता है। अधिनियम की धारा 28(4) के अन्तर्गत अध्यक्ष, अध्ययन मण्डल की कार्यावधि इस अधिसूचना प्रसारण दिनांक से तीन वर्ष की होगी :-

सूक्ष्म जैविकी अध्ययन मण्डल

अधिनियम 28(2) एक	1.	रिक्त
28(2) दो	1.	डॉ. अर्पिता अवस्थी प्राचार्य एवं विभागाध्यक्ष शास. ठा.र.सिंह महाविद्यालय, रीवा(म.प्र.)
	2.	डॉ. शिवेश प्रताप सिंह विभागाध्यक्ष, शास. स्नातकोत्तर महाविद्यालय सतना(म.प्र.)
28(2) तीन	1.	डॉ. अतुल कुमार तिवारी उपाचार्य, पर्यावरण जीवविज्ञान विभाग, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा(म.प्र.)
28(2) चार	1.	रिक्त
	2.	रिक्त
28(2) पाँच	1.	डॉ. रश्मि अर्नाल्ड प्राध्यापक, शास. कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, रीवा(म.प्र.)
	2.	डॉ. आभा खरे प्राध्यापक शास. कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सतना(म.प्र.)

अधिनियम 28 (3) के अन्तर्गत डॉ. अर्पिता अवस्थी को सूक्ष्म जैविकी अध्ययन मण्डल का अध्यक्ष नाम निर्देशित किया जाता है।


कुलसचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. कुलाधिपति के प्रमुख सचिव, राजभवन भोपाल(म०प्र०)
2. आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन, सतपुड़ा भवन, भोपाल(म०प्र०)
3. अध्ययन मण्डल के समस्त सदस्यगण।
4. संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य।
5. संकायाध्यक्ष, जीवन विज्ञानसंकाय।
6. कुलसचिव, मध्यप्रदेश के समस्त विश्वविद्यालय।
7. निर्देशक, मध्यप्रदेश हिन्दी ग्रन्थ अकादमिक रविन्द्रनाथ ठाकुरमार्ग, भोपाल(म०प्र०)
8. कुलगुरु जी के सचिव/कुलसचिव के निजसहायक

सहायक कुलसचिव (अकादमिक)


सहायक कुलसचिव (अकादमिक)